Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

- **कार्यालय तहसील टोक में नरेन्द्र बैरवा पटवारी पटवार हल्का टोंक व मोहम्मद नसीम (दलाल) 15,000/- रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।**

जयपुर, दिनांक 25 सितम्बर, गुरूवार। ए.सी.बी. मुख्यालय जयपुर के निर्देश पर ए.सी.बी. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोंक इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये आरोपी नरेन्द्र कुमार बैरवा हाल पटवारी पटवार हल्का कस्बा टोंक गर्दी तहसील टोंक व मोहम्मद नसीम दलाल को **15,000/- रूपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमति स्मिता श्रीवास्तव** ने बताया कि ए.सी.बी. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोंक को एक शिकायत इस आशय की मिली कि आरोपी परिवादी के पुत्री/पुत्रो के नाम से खरीदी भूमि का नामान्तरण खोलने की एवज में आरोपी नरेन्द्र बैरवा पटवारी द्वारा 30,000/- रूपये रिश्वत राशि मांग कर परिवादी को परेशान किया जा रहा था।

दिनांक 25.09.2025 को वक्त मांग सत्यापन आरोपी द्वारा 30,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग कर 15,000/- रूपये आज ही लाने हेतु तथा शेष 15,000/- रूपये बाद में देने हेतु परिवादी को कहा गया तथा रिश्वत राशि नही देने पर धमकी देकर नामान्तरण खारिज करने हेतु कहां।

जिस पर एसीबी अजमेर रेंज के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री अनिल कायल** के सुपरवीजन में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोंक के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री झाबर मल** इकाई ने ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी नरेन्द्र कुमार बैरवा, पटवारी ने अपनी उपस्थिति में अपने परिचित मोहम्मद नसीम (दलाल) को 15,000/- रूपये रिश्वत राशि परिवादी से दिलवाई गई। आरोपीगण को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा ।